जिला कलक्टर
6/16 श्रीगंगानगर
A3

अपील सूचना का अधिकार संख्या 06/2016 श्री रणवीर सिंह निवासी चक 75 जीबी पोस्ट ऑफिस 72जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.03.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रणवीर सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर अनूपगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रणवीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

कृपया निम्नलिखित सूचना आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(9) अनुसार निम्न प्रारूप में प्रदान करने का कष्ट करें:–

(1) दिनांक 01 जनवरी 2013 से 20 नवम्बर 2015 अवधि दौरान उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ द्वारा स्माल पेच भूमि आवंटन सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में प्रमाणित कर प्रदान करें:–

क0 सं0	आवेदन दिनांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम व पता	संबंधित भूमि का चक/मु. न. व कि.न.	प्रार्थी/लाभार्थी की भूमि का चक मु.न. कि.ल. जो स्माल पेच भूमि के साथ है	स्माल पेच भूमि के आवंटन की दिनांक

(2) दिनांक 01 जनवरी 2013 से दिनांक 20 नवम्बर 2015 दौरान पौंग डेम विस्थापितो को जारी खातेदारी का विवरण निम्न प्रारूप में प्रदान करे

क0 सं0	खातेदारी जारी होने की दिनांक	लाभार्थी नाम/पिता का नाम व पता	भूमि का मु. न. व चक	उपखण्ड अधिकारी/ एसडीएम द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक

(3) दिनांक 01 जनवरी 2013 से दिनांक 20 नवम्बर 2015 के दौरान उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ में दर्ज परिवादो का निम्न विवरण प्रदान करें:–

(अ) कुल दर्ज परिवादो की संख्या
(ब) लम्बित दर्ज परिवादो की संख्या
(स) निस्तारित परिवादो की संख्या

अपीलार्थी श्री रणवीर सिंह द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 3 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलक्टर अनूपगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा प्रतिवेदन सं0 217 दिनांक 22.02.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1423 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी अपील दाखिल दफतर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा पत्र सं0 1423 दिनांक 22.12.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिस प्रारूप में सूचना चाही गई है उस रूप में सूचना उनके कार्यालय में संधारित नही है। आपके लिए पृथक से संधारित कर सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नही है आप किसी भी कार्य दिवस कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर ले तथा जो भी उपलब्ध रिकार्ड है उसकी प्रति आप द्वारा चाहने पर आपको उपलब्ध करवा दी जावेगी। जिसके लिए दो रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क देय होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 22.12.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलक्टर अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर